संख्या– /XXVII(7)34(1)/2009

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,**
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादून: दिनांक : 10 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2017**

विषय : महिला सरकारी सेवकों को 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' (Child Adoption Leave) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–13018/1/2009–स्थापना (छुट्टी) दिनांक 22 जुलाई, 2009 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मौलिक रूप से नियुक्त (substantive appointment) स्थायी/अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) ऐसे महिला सरकारी सेवक, जिनकी दो से कम जीवित संतानें हों एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लिया गया हो, को पूरे सेवाकाल में एक बार अधिकतम 180 दिन के 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' (Child Adoption Leave) की सुविधा प्रदान की जायेगी।

(2) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश का लाभ उन महिला कर्मचारियों को भी देय होगा, जिन्होंने इस शासनादेश के जारी होने से पूर्व एक वर्ष से कम आयु के शिशु को गोद लिया हो, परन्तु उक्त सुविधा गोद लिये गए शिशु की आयु एक वर्ष पूर्ण होने तक की ही अवधि हेतु (अधिकतम 180 दिनों की सीमा के अंतर्गत रहते हुए) अनुमन्य होगी।

(3) इस अवकाश अवधि के दौरान महिला सरकारी सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य 'अवकाश वेतन' देय होगा।

(4) बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश के साथ किसी अन्य प्रकार का अवकाश, जो नियमानुसार अनुमन्य हो और जिसके लिये यथा–प्रक्रिया आवेदन किया गया हो, भी स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अवकाशों की कुल अवधि (बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश सहित) एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) यदि किसी महिला सरकारी सेवक के शिशु गोद लेने के समय दो या अधिक जीवित संतानें हों, तो उन्हें 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(6) उक्त अवकाश भारत सरकार के Adoption Regulations, 2017 (समय–समय पर यथासंशेधित) व अन्य तत्संबंधी आदेशों के अंतर्गत केवल वैधानिक (valid adoption) रूप से गोद लिए गए शिशु के लिए ही अनुमन्य होगा।

(7) उक्त अवकाश 'मातृत्व अवकाश' की भांति स्वीकृत किया जायेगा।

(8) 'बाल–दत्तक ग्रहण अवकाश' को अवकाश लेखे के नामे नहीं डाला जायेगा।

2. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। संगत अवकाश नियमों में तद्नुसार आवश्यक संशोधन यथा समय किया जायेगा।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–168/XXVII(7)34(1)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. निबन्धक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
4. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।